

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 01/05/2024

क्रमांक/रीडर/2024/268/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 268 / 2024 अनवान कैलाश चंद्र पुत्र ललित नारायण ब्राह्मण निवासी कुचलवाड़ा कला बंनाराम नंदकिशोर पुत्र बजरंग लाल शर्मा निवासी कुचलवाड़ा कला, रामप्रसाद पुत्र रामदयाल उपाध्याय निवासी कुचलवाड़ा कला, महावीर पुत्र भंवर लाल उपाध्याय निवासी कुचल वाड़ा कला, ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल उपाध्याय निवासी कुचलवाड़ा कला, जितेंद्र पुत्र भंवरलाल उपाध्याय निवासी कुचलवाड़ा कला, गोपाल दास पुत्र रतन दास वैष्णव निवासी कुचल वाड़ा कला, द्वारका प्रसाद पुत्र उपाध्याय निवासी कुचलवाड़ा कला, रामपाल पुत्र कन्हैया लाल उपाध्याय निवासी कुचलवाड़ा कला की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम हनुमाननगर प.ह. ऊंचा आराजी सं. 310, 535/1703, 890/480 कुल किता 03 रकबा 1.5459 हेक्टेयर व ग्राम कुचलवाड़ाकला प.ह. ऊंचा आराजी सं. 1915/270, 217 कुल किता 02 रकबा 0.5422 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कैलाश चंद्र पुत्र तलित नारायण ब्राह्मण निवासी कुचलवाड़ा

बनाम

मंदकिशोर पुत्र बजरंग लाल शर्मा निवासी कुचलवाड़ा कला वगैरह

किरम मुकदमा पा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 268/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
01-05-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ   प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया   प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम हनुमाननगर प.ह. ऊंचा आराजी सं. 310, 535/1703, 890/480 कुल किता 03 रकबा 1.5459 हेक्टेयर व ग्राम कुचलवाड़ाकला प.ह. ऊंचा आराजी सं. 1915/270, 217 कुल किता 02 रकबा 0.5422 हेक्टेयर भूमि स्थित है   अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है   अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें   प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है  </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी   पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है   प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है   ग्राम हनुमाननगर प.ह. ऊंचा आराजी सं. 310, 535/1703, 890/480 कुल किता 03 रकबा 1.5459 हेक्टेयर व ग्राम कुचलवाड़ाकला प.ह. ऊंचा आराजी सं. 1915/270, 217 कुल किता 02 रकबा 0.5422 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है   कमीश्नर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे   पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे   पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे   तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं   पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें  </p> <p>आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (शाहपुरा)